राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 01/03/2023 को संपन्न 453वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स दोंदेकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–दोंदेकला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2216)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 407961/ 2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दोंदेकला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 126/1, 126/2, 126/5, 127/1, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल–2.687 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित हो रहा है। साथ ही ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्रीमती हरप्रीत कौर), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2215)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405202/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 279, 536 एवं 537(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–8.3 एकड़ (3.358 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनदीप सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 28/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्र. 5392/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.26 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि एवं एल.ओ.आई. श्रीमती हरप्रीत कौर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 542/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 26/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 450 मीटर, स्कूल ग्राम–अकोलडीह खपरी 450 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण –** जियोलॉजिकल रिजर्व 20,16,000 टन, माईनेबल रिजर्व 9,28,958 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 9,01,089 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,610 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में

ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 25,990 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम्	30,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,902 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई थी।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.26 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) का रकबा 3.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) को मिलाकर कुल रकबा 183.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall complete plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स प्रिमियर मेटल्स (प्रो.– श्री अजय झांझरी), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2213)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405329/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1971/1 एवं 1971/2, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय झांझरी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1971/1 एवं 1971/2, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर, क्षमता 32,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/02/2023 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and

subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों तरफ तथा अन्य स्थानों में कुल 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। अतः समिति का मत है कि पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 98/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018–19	13,348
2019–20	24,696
2020–21	19,999
2021–22	16,956

v. समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 13/06/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 5505/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 181.82 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 97/ख.लि./तीन–6/2023 रायपुर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट,

पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। 200 मीटर के भीतर नाला स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स प्रिमियर मेटल्स, प्रो.– श्री अजय झांझरी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2018 से 21/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 1971/1 श्रीमती नेहा झांझरी एवं खसरा क्रमांक 1971/2 श्रीमती प्रेम झांझरी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुंगी 1.1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–नरदहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,14,660 टन, माईनेबल रिजर्व 3,67,530 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,56,504 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,807 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,000 घनमीटर है, जिसमें से ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 906 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	32,000
द्वितीय	32,000
तृतीय	32,000
चर्तुथ	32,000
पंचम	32,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं अन्य स्थानों में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3,807 वर्गमीटर है, जिसमें से 800 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – ओव्हर बर्डन एवं ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु लीज क्षेत्र में 1,726 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 22 मीटर उत्खनन उपरांत 336 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई एवं लीज क्षेत्र के भीतर 19 मीटर उत्खनन उपरांत 64 वर्गमीटर क्षेत्र में 6 मीटर की गहराई में उत्खनन किया जाना संभव नहीं होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये गये 400 नग पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी किया जाए।

3. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट–1 (डॉयरेक्टर– श्री राज कुमार अग्रवाल), टाटीबंध, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2272)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 414787/ 2023, दिनांक 17/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 55/3(पार्ट), टाटीबंध, जिला–रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल–0.647 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 45 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक

में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स अलंकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–2), टाटीबंध, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2275)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 414896/2023, दिनांक 17/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 55/3(पार्ट), टाटीबंध, जिला–रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल–0.647 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स रतुसरिया इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 643 एवं 644ए, सेक्टर–बी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2276)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 415007/ 2023, दिनांक 18/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लाट नं. 643 एवं 644ए, सेक्टर–बी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स तरेगांव मैदान लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री बिसनाथ वर्मा), ग्राम–तरेगांव मैदान, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2278)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 414945/ 2023, दिनांक 18/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तरेगांव मैदान, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 215, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,967.7 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बिसनाथ वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 215, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर, क्षमता–5,967.71 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा दिनांक 21/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति लीज जारी दिनांक 01/06/2018 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/05/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this

notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/05/2024 तक वैध होगी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 370 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 983/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरधाम, दिनांक 12/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 03/06/2018 से 31/03/2019 तक	20
2019–20	400
2020–21	20
2021–22	निरंक
दिनांक 01/04/2022 से 04/08/2022 तक	निरंक

समिति का मत है कि दिनांक 04/08/2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत तरेगांव मैदान का दिनांक 26/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1266/खनि.लि./उ.यो./2017 बेमेतरा, दिनांक 15/12/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 982/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरधाम, दिनांक 12/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 981/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरधाम, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री बिसनाथ वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/06/2018 से 31/05/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./10829 कवर्धा, दिनांक 15/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. एवं वन अभ्यारण्य से 15 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नैवरगांव 550 मीटर व ग्राम तरेगांव मैदान 620 मीटर, स्कूल ग्राम–तरेगांव मैदान 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल बोडला 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.9 कि.मी. दूर है। फोंक नदी 690 मीटर, मौसमी नाला 3.25 कि.मी., तालाब 600 मीटर एवं नहर 50 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,69,805 टन, माईनेबल रिजर्व 2,81,822 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,97,275 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,69,705 टन, माईनेबल रिजर्व 2,80,722 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,96,175 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,387.27 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर एवं पहाड़ी क्षेत्र की ऊँचाई 11 मीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 34 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,739.1	षष्टम	5,840.6
द्वितीय	5,840.6	सप्तम	5,840.6
तृतीय	5,840.6	अष्टम	5,840.6
चतुर्थ	5,840.6	नवम	5,938.0
पंचम	5,840.5	दशम	5,967.7

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में क्रशर लीज क्षेत्र के बाहर एवं 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के मध्य स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। क्रशर को लीज क्षेत्र में स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस

आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा। समिति का मत है कि क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एम.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 810 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 370 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 440 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 40,500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,64,900 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,62,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र में क्रशर, 428.98 वर्गमीटर क्षेत्र में स्टोन स्टोरेज, 100 वर्गमीटर क्षेत्र में रैम्प निर्माण एवं 1006.68 वर्गमीटर क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.34	2%	0.78	Following activities at, Govt Primary School **Village- Taregaon Maidan**	
			Installation of separate water tank for drinking	0.26
			Installation of UV water filter and its AMC	0.28
			Pipeline sanitary ware and installation	0.16
			Donation of books	0.10

			related to Environment Conservation	
			Total	**0.80**

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार नियत स्थान पर स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊचाई तक भंडारित कर संरक्षित रखने हेतु, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा भण्डारित शेष ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्त्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित जल छिडकाव कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुरूप सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र से किसी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्सर्जन होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 04/08/2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एम.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी माइनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनदयाल अग्रवाल), ग्राम–मुढ़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2250)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413046/ 2023, दिनांक 03/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ीपार, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 164 एवं 169/1, कुल क्षेत्रफल–1.085 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 20,943.8 टन प्रतिवर्ष से 42,285 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मेन्द्र अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 164 एवं 169/1, कुल क्षेत्रफल 2.68 एकड़ (1.085 हेक्टेयर), क्षमता–20,943.8 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 07/01/2017 को जारी की

गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 06/01/2022 की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 06/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि चुंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण कर पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 200/तीन–6/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 31/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	10,945
2018–19	16,000
2019–20	9,736
2020–21	13,900
2021–22	18,000
2022–23 (31 दिसंबर 2022 तक)	10,500

v. समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भद्रापाली का दिनांक 22/07/1995 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया

है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ क्वारी माईनिंग प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 6752/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(1) नवा रायपुर, दिनांक 29/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1879/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 22/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 1,648.698 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1879/ख.लि. /2021 बलौदाबाजार, दिनांक 22/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जलआपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री दीनदयाल अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/03/1996 से 03/03/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/03/2016 से 03/03/2026 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 500 मीटर, स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 700 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–मुढ़ीपार 680 मीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। जमुनिया नदी 8.96 कि.मी., बंजारी नाला 7.1 कि.मी., बलोदा नहर 580 मीटर एवं खोरसी नाला 7.59 कि.मी. दूर है। ढाबाडीह रिजर्व फारेस्ट 2.95 कि.मी., लतवा रिजर्व फारेस्ट 8.37 कि.मी. एवं सोनबरसा रिजर्व फारेस्ट 9.33 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,82,687 टन, माईनेबल रिजर्व 1,80,262 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,71,249 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी

मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,605
द्वितीय	38,182.5
तृतीय	42,285
चतुर्थ	35,190
पंचम	30,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,380 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर एवं 735 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,76,875/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/11/2021 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,76,875/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The

whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. दिनांक 01/01/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार वृक्षारोपण कर पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स ईरा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक चक्रधारी), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2131)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288964/2022, दिनांक 17/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 483, 490(पार्ट), 493(पार्ट), 494(पार्ट), 495/2, 496(पार्ट), 482, 484(पार्ट), 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 495/1, 495/4(पार्ट) एवं 495/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–3,200 घनमीटर (32,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 475, 478, 482, 483, 494, 496, 484, 493, 490, 492, 476/1, 476/2, 495, 479, 480, 481, 477 एवं 489, कुल क्षेत्रफल–4.682 हेक्टेयर, आवेदित उत्खनन क्षमता–3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   ii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1971/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/11/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,800
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200

अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरंक

iv. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी। परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2020–21 में भी उत्खनन किया गया है। साथ ही विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रस्तुत जानकारी अनुसार क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) एवं 2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में क्रमशः उत्खनन 3,200 घनमीटर एवं 6,500 घनमीटर किया गया है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता (3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) से अधिक है। अतः यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों ई.आई.ए./ई.एम.पी. तैयार किये जाने हेतु टी.ओ.आर. के लिए विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/01/2023 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की गई है:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 105/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 13/01/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,800
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरंक

मिट्टी 42 प्रतिशत, फ्लाई ऐश 52 प्रतिशत एवं कोल ऐश 6 प्रतिशत = 100 प्रतिशत उत्पादन में सम्मिलित है।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "उत्पादन की जो जानकारी खनिज विभाग के द्वारा दी गई थी उसमें फ्लाई ऐश की मात्रा समाहित थी, इस संबंध में पुनः उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से दिनांक 13/01/2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उल्लेखित वार्षिक उत्पादन में 42 प्रतिशत मिट्टी, 52 प्रतिशत फ्लाई ऐश, 6 प्रतिशत कोल ऐश सम्मिलित है चूँकि जारी उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शीत मात्रा का मात्र 42 प्रतिशत मिट्टी है जो कि पर्यावरण स्वीकृति क्षमता के

अंदर है। उक्त खदान की पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि दिनांक 31/03/2020 तक ही थी चूँकि MoEF&CC के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार 15/03/2020 से 30/04/2020 के बीच के कालखण्डों की पर्यावरण स्वीकृति को 30/06/2020 तक विस्तारित किया गया था एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता जिसकी विधिमान्यता वित्तीय वर्ष 2020–21 में समाप्त हो रही है, को 31 मार्च 2021 या विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से छः मास, जो भी बाद हो, तक विस्तारित किया जाना समझा जाएगा एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे। उपरोक्त अधिसूचना एवं ओ.एम. के अनुसार जारी पर्यावरण स्वीकृति में हमारे द्वारा किसी प्रकार का पर्यावरण स्वीकृति का उल्लंघन वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में भी नहीं किया गया है तथा उत्खनन पर्यावरण स्वीकृति के अनुरूप किया गया है जो कि जारी पर्यावरण स्वीकृति से ज्यादा नहीं है।"

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर.– श्री प्रमोद अग्रवाल), ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2133)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 82435/ 2022, दिनांक 18/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 497, 502, 506 एवं अन्य 35, कुल क्षेत्रफल–4.616 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महे"वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल वॉ"ारी स्थापना हेतु निम्न 3 स्थलों का अध्ययन किया गया:–

   I. ग्राम–चदिया, जियोग्राफिक को–ऑडिनेट 21^0 26'58.91"N , 81^0 56'47.20" E
   II. ग्राम–हथनेवरा,जियोग्राफिक को–ऑडिनेट 21^0 59'4.26"N , 82^0 41'43.99" E
   III. ग्राम–अटर्रा, जियोग्राफिक को–ऑडिनेट 21^0 56'54.03"N , 81^0 59'21.41" E

   उक्त स्थलों का विभिन्न तथ्यों/बिन्दुओं पर अध्ययन उपरांत प्रस्तावित स्थल (ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा) को उपयुक्त पायें जाने पर चयनित किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–हथनेवरा 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन चांपा 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विमानपत्तन, बिलासपुर 60 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.9 कि.मी. एवं जरमरिया नाला 500 मीटर दूर है। नहर परिसर से लगी हुई है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स तिरूपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर (11.406 एकड़) है, जिसमें बिल्टअप का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, वाश्ड–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर, रिजेक्ट्स स्टोरेज का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित लेड ऐरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वॉशरी से

वाश्ड कोल का परिवहन कस्टमर के साथ हुये एम.ओ.यू. के आधार पर सड़क मार्ग या रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। समिति का मत है कि अधिकतम वाश्ड कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट में समावेश किया जाए।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। क्रशर के चारो ओर जल छिड़काव हेतु आटोमाईजर नोजल अरेंजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के चारों ओर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस–पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 12 से 30 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 50 प्रति"ात क्षेत्र में वृक्षारोपण कर सं"ोधित ले–आउट प्लान ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाना आव"यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेस लाईन डेटा कलेक्शन का कार्य 20 मार्च 2022 से 20 जून 2022 तक किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

ii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

v. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area.

vi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the premises as per guidelines issued from time to time and minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of most of the raw coal, clean coal and reject through rail as far as possible.

viii. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding national highway.

ix. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding nearest canal / water bodies.

x. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including adjacent canal.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर है जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना है एवं कोल वॉशरी में जल की आवश्यकता अत्यधिक होने के कारण रेन वॉटर पॉण्ड के निर्माण हेतु भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी तथा कोल वॉशरी क्षेत्र में पार्किंग एरिया, स्टोरेज एरिया, ई.टी.पी. एरिया एवं अन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोल वॉशरी की क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर कम है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी / दस्तावेज एवं संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए, ताकि समिति द्वारा अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू), ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1799)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227885/2021, दिनांक 05/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 114, कुल क्षेत्रफल–1.336 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेलूराम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने के कारण उनके द्वारा खनिज विभाग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्राप्त किये जाने का लेख किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। समिति का मत है कि खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क../ख.लि./तीन–6/2021/573 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	ईट उत्पादन (नग)
2016	5,67,000
2017	6,30,500
2018	4,75,000
2019	6,08,000
2020	90,500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 08/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3544/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री दीनबंधु साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/12/2005 से 23/12/2010 तक की अवधि हेतु वैध थी।

लीज का नवीनीकरण दिनांक 24/12/2010 से 23/12/2020 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 15 वर्षों की, दिनांक 24/12/2020 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 114 श्री खेलु राम एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी, स्कूल ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी. एवं अस्पताल अभनपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 25,120 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 615 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल 1,700 वर्गमीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 18 टन कोयले की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,250	12,50,000
द्वितीय	1,250	12,50,000
तृतीय	1,250	12,50,000
चतुर्थ	1,250	12,50,000
पंचम	1,250	12,50,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	1,250	12,50,000
सप्तम	1,250	12,50,000
अष्टम	1,250	12,50,000
नवम	1,250	12,50,000
द''म	1,250	12,50,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.24	2%	0.82	Following activities at Government Primary School, **Village- Lamkeni**	
			Rain Water Harvesting System	0.43
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
			Plantation	0.10
			Total	**0.93**

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किया जाए।

15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया है, जो कि संभव नहीं है। अतः उक्त के संबंध में संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्तानुसार अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी के संबंध में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 28/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लगभग 17 टन प्रतिवर्ष ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा।

4. अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया था, जो कि संभव नहीं है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार टंकन त्रुटिवश रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 19,289 टन थी, जिसे संयुक्त–संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा (अनुमोदित क्वारी प्लान के पेज क्र.–11) त्रुटि सुधार कर रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 18,289 टन करते हुए संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित क्षेत्र में जिग–जैग किल्न के स्थान पर पूर्व से फिक्स चिमनी (Type BTK) स्थापित है।

6. जल की आपूर्ति बोरवेल के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेयजल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

8. सी.ई.आर. के तहत् (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रूपये, खाद के लिए राशि 400 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 18,000 रूपये के लिए 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर, दिनांक 04/04/2022 के अनुसार "कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत् श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण सम्मति आदेश जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने एवं पट्टेदार के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।" होना बताया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्रति के उत्खनन किया जाना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण उल्लंघन का उल्लेख करते हुये पुनः आनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में उल्लंघन का उल्लेख नहीं करने के कारण आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का यह भी निर्णय है कि परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् उल्लंघन का उल्लेख करते हुये विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संपन्न 126वीं बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त प्राप्त अभिलेखों एवं उपलब्ध नस्ती का अवलोकन कर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में खनि अधिकारी, जिला–रायपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन

सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/09/2022 द्वारा श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं खनि अधिकारी, जिला–रायपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 11/10/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 09/11/2022 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/11/2022 को संपन्न 133वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- "With reference to the letter No. 908/SEAC CG/ Raipur/1799, Nava Raipur Atal Nagar Date 05/09/2022, a sub-committee of three members Shri N.K. Chandrakar, Expert Member of SEAC CG, Mining Officer of Raipur and Regional Officer Raipur CECB was constituted to inspect Bricks earth quarry and brick kiln project which is granted lease till 22/12/2035 to Mr. Deenbandhu Sahu, Village - Lamkeni ,Tehsil - Abhanpur, District - Raipur for renewal of Environmental Clearance. Previous environment clearance was granted for five years to the project proponent through letter no. 374/DEIAA CG/EC/Khanij/2016.
- The site was visited on 11/10/2022 where Mining Inspector Raipur, project proponent Mr. Deebandhu Sahu Project proponent and Mr. S.K. Chaudhary, Sub Engineer CECB, Mr. M.K. Shrivastava, Chemist CECB and some villagers were present. (Panchnama enclosed).

Following observations were made during the inspection:

- Annual mining limit of brick earth is within prescribed limit of 1500 cubic metre per year and boundary of lease area is marked with permanent pillars. (Photographs enclosed).
- Waste water from the brick work production process is not discharged into natural water stream also necessary provisions have been made so that storm water in lease area does not come in contact with polluted waste water.
- No waste material is dumped in the peripheral 7.5 meter wide safety zone and sufficient plantation has been done in this area.
- Tree guard has been used to protect the trees and enough plantations of trees like neem, ashok, mango, karanj etc. as per the guidelines of Environmental Clearance was also found in the lease area.
- Labours of the brick work project are provided facility of clean drinking water, toilets, shoes, helmet and first aid kits.
- The inspection of lease area does not indicate any type of violation with respect to Environmental Clearance guidelines and project proponent is

willing to comply all the terms and conditions of SEAC Chhattisgarh. (Affidavit enclosed).

- Recent NOC from village panchayat has also been submitted and this project is not a part of any cluster. (Copy enclosed).
- The project proponent submitted affidavit before the SEIAA to comply all the terms and conditions. (Copy enclosed).
- Apart from above there is no Brick klin chimney within 1 KM radius and population 600-800 meter from lease area.

Therefore it is recommended to renew the Environmental Clearance."

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत कार्यवाही विवरण अनुसार पूर्व जिला स्तरीय विशेषज्ञ निर्धारण समिति की बैठक दिनांक **21/03/2017** में कुल **24 प्रकरणों** पर पर्यावरण सम्मति दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
2. उपरोक्त कार्यवाही विवरण के अंतर्गत उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है अथवा नहीं? अतः प्राधिकरण का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है, ताकि प्रकरण पर विचार किया जा सके। प्राप्त समस्त अभिलेखों की प्रति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर को पत्र के साथ संलग्न किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से उपरोक्त कार्यवाही विवरण के संबंध में स्पष्टीकरण एवं आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रेषित किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/01/2023 को प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क्र.–Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"पूर्व में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर दिनांक 04.04.2022 के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हे. पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया संभव नहीं है।" होना लेख किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (डी.ई.ए. सी.) रायपुर की बैठक दिनांक 15.03.2017 में कुल 31 प्रकरणों को सुनवाई कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय करने हेतु निर्णय दिया गया। बैठक के कार्यवाही विवरणानुसार बिन्दु क्रमांक 20 अनुसार आवेदक श्री दीनबंधु साहू को ग्राम लमकेनी तहसील अभनपुर के निजी भूमि खसरा नं. 114 भाग रकबा 1.336 है. पर स्वीकृत मिट्टी उत्खनिपट्टा को पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.12.2020 तक प्रदाय करने विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया जिसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण जिला स्तरीय पर्यावरण समापात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) रायपुर में प्रस्तावित किया गया।

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) के बैठक दिनांक 21.03.2017 में दिनांक 14.02.2017 के 04 एवं दिनांक 15.03.2017 के 31 कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई जिसमें 24 प्रकरणों को पर्यावरण सम्मति प्रदाय करने का निर्णय लिया गया जिसमें श्री दीनबंधु साहू का प्रकरण सम्मिलित है। उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक श्री दीनबंधु साहू को पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाय किया गया है।" संबंधित बैठकों की छाया प्रतियां प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क्र.– Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 से प्राप्त जानकारी एवं उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(स) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क्र.–Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   "पूर्व में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर दिनांक 04.04.2022 के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत् श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 है. पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया संभव नहीं है।" होना लेख किया गया है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–लमकेनी) का क्षेत्रफल 1.336 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
4. मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू) को ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 114 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.336 हेक्टेयर, क्षमता–1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डी. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू) को खसरा क्रमांक 114, ग्राम–लमकेनी, तहसील–अमनपुर, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 1.336 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.336 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी जिग–जैग किल्न आधारित ईंट भट्टे की स्थापना दिनांक 21/02/2024 के भीतर किया जाए। यदि जिग–जैग किल्न की स्थापना नहीं किये जाने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति अमान्य होगी। जिग–जैग किल्न का ड्राईंग, डिजाईन एवं प्लान फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

9. ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

10. ईंट भट्टे में केवल पाईप्ड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृशि का उयपोग किया जाए। पेट कोक/टायरों/प्लॉस्टिक/खतरनाक अपषिश्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।

11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

12. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

13. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

14. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">41.24</td><td rowspan="5">2%</td><td rowspan="5">0.82</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village- Lamkeni</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td>Running Water Arragement (2 Tanks) in Toilets with Submersible Pump</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td>Plantation</td><td>0.18</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.98</td></tr>
</table>

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

20. सी.ई.आर. के तहत् (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रूपये, खाद के लिए राशि 400 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 18,000 रूपये के लिए 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए।

21. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय

समिति से सत्यापित कराया जाए तथा सत्यापन रिपोर्ट एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर./ई.एम.पी. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 100 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 268 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा चैन लिंक तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाएगी।**

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं पौधों में नम्बरिंग पश्चात् फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

30. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हो। उन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो।

31. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

32. उत्खनन एवं ईट निर्माण का कार्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य ही कराया जावे।

33. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा एवं उचित आवास व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय

व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

34. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

35. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

36. कार्य स्थल पर श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु "क्या करें" (DOES) और "क्या न करें" (DON'TS) का बोर्ड लगाया जावे तथा सुरक्षा हेतु पर्याप्त सतर्कता बरती जावे।

37. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.